

राजस्थानी भाषा को लेकर व्यापक नीति बनाएं राजस्थान सरकार - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिये कि राजस्थान सरकार सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए व्यापक नीति बनाएं

जोधपुर, (कासं)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए व्यापक नीति बनाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार के दुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब राजस्थानी भाषा को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूली स्तर पर इसे लागू करने में देरी क्यों?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह संवैधानिक अधिकारों के हनन पर मुक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। बेंच ने कहा कि बच्चों को उनकी

- कोर्ट ने कहा कि जब राजस्थानी भाषा को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूली स्तर पर इसे लागू करने में देरी क्यों?
- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने को कहा है
- शुरुआत में फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्तर पर राजस्थानी को माध्यम या विषय के रूप में जोड़ा जाए, फिर धीरे-धीरे इसे उच्च कक्षाओं में भी अनिवार्य किया जाए

मातृभाषा में शिक्षा देना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी 2020) का मूल मंत्र है, जिसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है। सुप्रीम

कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने को कहा है। शुरुआत में फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्तर

पर राजस्थानी को माध्यम या विषय के रूप में जोड़ा जाए, फिर धीरे-धीरे इसे उच्च कक्षाओं में भी अनिवार्य किया जाए। यह आदेश केवल सरकारी स्कूलों के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान के हर प्राइवेट स्कूल के लिए भी बाध्यकारी होगा। गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं, बल्कि रीट के हिलेबंद में भी राजस्थानी भाषा को शामिल करने की मांग की थी। कोर्ट के इस रुख के बाद अब राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए राजस्थानी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य हो सकता है। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

2011 की जनगणना के

अनुसार, राजस्थान में लगभग 4.36 करोड़ लोग राजस्थानी बोलते हैं। लंबे समय से राज्य सरकार यह तर्क देती रही थी कि राजस्थानी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए इसे स्कूलों में पढ़ाना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक मान्यता के लिए 8वीं अनुसूची का इंतजार करना तर्कहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सितंबर 2026 में फिर से लिस्ट किया है। तब तक राजस्थान सरकार को कोर्ट को यह बताना होगा कि उन्होंने इस आदेश को लागू करने के लिए क्या नीति बनाई है और स्कूलों में राजस्थानी पढ़ाने की तैयारी कहाँ तक पहुंची है।

टोंक में 10 अवैध हथियार जब्त, पांच जनों को पकड़ा



उनियारा पुलिस टीम ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, बारूद और छर्रे बरामद किये।

टोंक, (निर्सं)। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उनियारा वृद्धाधिकारी के नेतृत्व में उनियारा पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार, बारूद और छर्रे बरामद कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, छापेमारी के दौरान 10 अवैध हथियार जब्त किए गए, इनमें 6 देशी टोपीदार बंदूकें, 1 देशी कट्टा और 3 एयरगन शामिल हैं। इसके अलावा, भारी मात्रा में गन पाउडर (बारूद), 20 मोटे छर्रे, 655 मध्यम छर्रे और 100 एयरगन पैलेट्स भी बरामद किए गए

हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना बनेडा और थाना उनियारा क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से दबिश दी। बनेडा थाना क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 मामले दर्ज किए गए, जबकि उनियारा थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जोधपुर में घर में घुसकर महिलाओं के गहने लूटे

जोधपुर, (कासं)। शहर के कुड़ी भगतासनी क्षेत्र सेक्टर 12 में घर में घुसकर अपहरण का प्रयास करने के साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने घर की महिलाओं से भी अभद्र व्यवहार किया और वहां से सोने-चांदी के गहने ले गए। पीड़ित की तरफ से विवेक विहार थाने में एससी-एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज करवाया गया है।

विवेक विहार थाना पुलिस ने बताया कि 11 मई की रात को सेक्टर 12 में रहने वाले एक व्यक्ति के घर में कुछ लोगों ने प्रवेश कर उसके अपहरण का प्रयास किया। बीच-बचाव में आई महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की। आरोपी घर से सोने-चांदी की चीज के साथ चांदी के अंगूठियां और 12800 रूपए लूट कर ले गए। प्रकरण में एसपी स्तर के अधिकारी की तरफ से जांच की जा रही है।

पात्रता जांच हेतु विचारित सूची जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जीक्यूटिव रिसर्च ऑफिसर-प्लॉट पैथोलॉजी (कृषि विभाग) भर्ती-2024 के तहत पात्रता जांच के लिए विचारित सूची जारी कर दी गई है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग सचिव ने बताया कि भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम के आधार पर 12 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच हेतु विचारित सूची में शामिल किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह विचारित सूची केवल दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए जारी की गई है। इसे अंतिम चयन या वरीयता सूची नहीं माना जाएगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची कृषि विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने के बाद आयोग जारी करेगा।

अलवर : यूआईटी और निगम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

अलवर, (निर्सं)। लगातार लापरवाही और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के चलते एसीजेएम कोर्ट ने अब यूआईटी और निगम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले कोर्ट ने कलैक्टर कार्यालय व उनको कार को कुर्क करने के आदेश दिए थे।

मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता तरुण सैनी ने बताया कि यूआईटी मामले में खांका भूमि सुंदरलाल

सैनी को देने के आदेश पूर्व में जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद करीब ढाई साल तक यूआईटी यह कहती रही कि संबंधित डॉक्यूमेंट नगर निगम को सौंप दिए गए हैं। आरोप है कि न्यायालय ने 1207 खसरा नंबर को लेकर रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने 674 और 676 खसरा नंबर की रिपोर्ट दर्ज करारकर न्यायालय की गुमराह करने का प्रयास किया। मामले में न्यायालय ने जिला कलैक्टर अर्तिका

शुक्ला को भी कई बार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं नगर निगम की ओर से भी मामले में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। लगातार लापरवाही और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने अब यूआईटी और नगर निगम को संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह मामला खांका भूमि आवंटन नहीं करने का है।

एनजीटी के सख्त निर्देश के बाद भी सांभर झील में वाटर स्टोरेज के लिए हो रही है खुदाई

सांभरझील, (निर्सं)। रामसर साइट में दर्ज विश्व नम भूमि का दर्जा प्राप्त लवणीय झील में वर्तमान में हजारों की तादाद में प्लेमिंगो पक्षियों का इस भीषण गर्मी में भी जमावड़ा इस बात का स्पष्ट सबूत है कि इन परिदों को यहां का वातावरण माफिक आ गया है। शीतकालीन सत्र में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहां आकर यह अपने



सांभर साल्ट्स लिमिटेड अपने फायदे के लिए कुछ मीटर की दूरी पर ही जेसीबी से खुदाई करवाकर वाटर स्टोरेज के लिए एक बृहद तालाबनुमा गड्ढा तैयार किया जा रहा है।

- एनजीटी की तरफ से भी सख्त निर्देश हैं कि इस परिक्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि संचालित ना की जाए जो परिदों की संवेदनशीलता को डिस्टर्ब करें

प्रजनन की क्रिया को अंजाम देते हैं, अंडों की सुरक्षा करते हैं तथा बच्चों के बाहर आने का इंतजार करते हैं, इनके बड़े होने तक यादा प्लेमिंगो उनकी पूरी सुरक्षा करती है। ऐसे में इन बच्चों के बड़ा होकर उड़ने लायक होने तक प्लेमिंगो यहीं पर बैठे रहते हैं और यह सिलसिला प्रतिवर्ष इसी प्रकार चलता है। यह सब संज्ञान में होने के बावजूद सांभर साल्ट्स लिमिटेड अपने फायदे के लिए कुछ मीटर की दूरी पर ही जेसीबी से खुदाई करवाकर वाटर स्टोरेज के लिए एक बृहद तालाबनुमा गड्ढा तैयार किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में एनजीटी की तरफ से भी सख्त निर्देश हैं कि इस परिक्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि संचालित ना की जाए जो परिदों की संवेदनशीलता को डिस्टर्ब करें, राज्य सरकार को भी इसकी पालना सुनिश्चित किए जाने के लिए पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। पर्यावरण संरक्षण पशु विशेषज्ञ डॉ. आबिद अली खान इस मामले में गहरी चिंता व्यक्त कर उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल को पत्र लिखकर तुरंत एक्शन लिए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने एनजीएम को

बताया कि वर्तमान में इस जगह खसरा संख्या 1295/1275, ग्राम झोपक, शाकभरी माता, मंदिर रोड, सांभरलेक के सामने इलेक्ट्रिसिटी लाइन के नजदीक जेसीबी की सहायता से कुछ स्थानों द्वारा खुदाई एवं मिट्टी हटाने एवं स्थानांतरित करने का कार्य चल रहा है, जिस स्थान पर जेसीबी मशीन से खुदाई एवं मिट्टी हटाने का कार्य चल रहा है उस के पीछे मामले में गहरी चिंता व्यक्त कर उपखंड प्रजाति है, बैठे हुए देखे जा सकते हैं। यहीं पर इस अवधि के दौरान क्योंकि यह प्रजनन काल का समय है तो संभवतया

ये पक्षी घोंसलों का निर्माण कर रहे हो सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि यथाशीघ्र इस कार्य को रूकवा कर संकटग्रस्त प्रजाति प्लेमिंगो को प्रजनन हेतु में प्राकृतिक वातावरण दिया जाए तथा इस प्रक्रिया में बाधा बनने जा रहे इस कार्य को तुरंत रूकवाया जाए। ध्यान देने योग्य है कि इस क्षेत्र में जहाँ अभी यह कार्य चल रहा है, पूर्व में कभी भी नमक निर्माण कार्य इत्यादि नहीं बनाये गये हैं। पूर्व में इस स्थान पर टयूबवैल की भी खुदाई का प्रयास किया गया था, लेकिन लोगों के विरोध से बंद करना पड़ा था।

अजमेर में एक करोड़ की चरस के साथ दो नेपाली तस्कर गिरफ्तार

एटीएस की सूचना पर अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई की

अजमेर, (कासं)। अजमेर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एटीएस की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों के पास से दो किलो उच्च गुणवत्ता वाली चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि एटीएस से इनपुट मिला था कि नेपाल से दो युवक चरस की बड़ी खेप लेकर अजमेर आ रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने एमडीएस यूनिवर्सिटी तिहारे पर नाकाबंदी की। इस दौरान रोडवेज बस से उतरे दो युवक पुलिस को देखकर घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने संदिग्धों को भेरक तलाशी ली तो उनके

- पूछताछ में सामने आया कि आरोपी चरस की खेप लेकर बस के जरिए नेपाल से भारत पहुंचे और फिर अलग-अलग साधनों से होते हुए अजमेर आए थे
- प्रारंभिक जांच के अनुसार ये तस्कर नेपाल से मादक पदार्थ लाकर भारत के विभिन्न शहरों में सप्लाई करने का काम करते हैं
- पुलिस जांच कर रही है कि अजमेर में यह डिलीवरी किसे दी जानी थी

पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नेपाल निवासी खेमकुमार पुत्र भीमसार तथा अजय राणा पुत्र महराम राणा हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी चरस की खेप लेकर बस के जरिए नेपाल से भारत पहुंचे और फिर अलग-अलग साधनों से होते हुए अजमेर आए थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार ये तस्कर नेपाल से मादक


पदार्थ लाकर भारत के विभिन्न शहरों में सप्लाई करने का काम करते हैं। हिमांशु जांगिड़, एडिशनल एसपी सिटी अजमेर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एमडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है कि अजमेर में यह डिलीवरी किसे दी जानी थी और इस गिरोह के तार और कहाँ जुड़े हैं।

डॉ. भुवनेश जैन को “मुंणोत नैणसी मारवाड़ रत्न सम्मान” से सम्मानित किया

जोधपुर के 568 वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 19 प्रतिभाओं का सम्मान किया

जयपुर/जोधपुर। जोधपुर के 568 वें स्थापना दिवस पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में मंगलवार को आयोजित मारवाड़ रत्न समारोह में बाड़मेर के पर्यावरण, संस्कृतिकर्मी एवं प्रख्यात लेखक डॉ. भुवनेश जैन को मुंणोत नैणसी मारवाड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सांसद राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व महाराजा गज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में अतिथियों ने भुवनेश जैन को शॉल, श्रीफल, सम्मान पत्र और नकद 5.1 हजार रुपये की राशि से पुरस्कृत किया। यह मारवाड़ रत्न पुरस्कार डॉ. जैन को उनकी प्रखर लेखनी से मारवाड़ की लोक संस्कृति, औरण व धार के पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी भील, हस्तशिल्प एवं कलात्मक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गौरवपूर्ण स्थान दिलाने और समाचार पत्रों में शोधपूर्ण लेखों द्वारा मरुधरा की सांस्कृतिक परम्पराओं के उन्मूलन संरक्षण तथा योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इस अवसर पर धनाऊ की झोमा देवी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 19 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया।

डॉ. जैन ने वर्ष 1989-90 से



जोधपुर में बाड़मेर के पर्यावरण, संस्कृतिकर्मी एवं लेखक डॉ. भुवनेश जैन को सम्मानित किया गया।

ओरण - गोचर सर्वेक्षण, दस्तावेजोत्तरण, जन जागरण एवं पैरवी का कार्य शुरू किया था। उनके प्रयासों से अकेले बाड़मेर में 250 से अधिक अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र वर्तमान मे मेरा युवा भारत के निदेशक

पद से सेवानिवृत्त डॉ. जैन का नियमित रूप से प्रखर लेखन कार्य आज भी जारी है। जैन ने पर्यावरण के साथ लोक संस्कृति संरक्षण एवं लेखन, रेगिस्तानी आदिवासी भील इतिहास, संस्कृति, थार के हस्तशिल्प पर शोधपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य किया है। डॉ. जैन की पहचान

ओरण दूत, ओरण मैन के रूप में रही है। वर्तमान में डॉ. जैन सोसाइटी टु अपलिफ्ट रूरल इकोनामी नामक संस्था से जुड़े हैं। डॉ. जैन को मारवाड़ रत्न अवार्ड पर पर्यावरण प्रेमियों, लोक कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है।

बीकानेर में पुलिस ने मध्य प्रदेश के हथियार तस्कर को पकड़ा

बीकानेर, (निर्सं)। पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी को श्रवण सोडा गैंग का मुख्य हथियार सप्लायर बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छवा के निर्देशन में डीएसटी और बीडवाल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। गिरफ्तार आरोपी शिवा निवासी बैतूल, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी हाल ही में अवैध पिस्टल तस्करों के एक मामले से जमानत पर बाहर आया था और बाहर आते ही फिर से हथियार तस्करों में सक्रिय हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सितंबर

- दो पिस्टल और दस जिंदा कारतूस बरामद, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस
- आरोपी को श्रवण सोडा गैंग का मुख्य हथियार सप्लायर बताया जा रहा है

2025 में खाजूवाला क्षेत्र में सामने आए पिस्टल तस्करों प्रकरण में भी आरोपी जेल जा चुका है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में किन-किन लोगों से संपर्क थे और अवैध हथियारों

की सप्लाई का नेटवर्क कितना बड़ा है। पुलिस को सायबर सेल से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सायबर सेल के एएसआई दीपक यादव की सूचना पर डीएसटी और थाना पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सॉफ्टवेयर अपराध और नए कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह हथियार कहाँ से लाता था और किन अपराधियों तक सप्लाई करता था। बीकानेर पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध हथियार तस्करों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध हथियारों के साथ दो गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट की मथानिया और कुड़ी पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर टोपीदार बंदूक एवं चाकू बरामद किया। दोनों के खिलाफ ऑर्म्स एक्ट में प्रकरण बनाए गए हैं। वहीं पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। मथानिया पुलिस थाने के एएसआई सोहनलाल ने जगत सिंह नगर बालरवा गांव में दबिश देकर एक टयूबवैल पर रहने वाले बिरामाराम पुत्र बंशीलाल से टोपीदार बंदूक को जब्त कर ऑर्म्स एक्ट में मामला बनाया। वहीं दूसरी तरफ कुड़ी भगतासनी थाने के एएसआई महेंद्र कुमार ने राजीव गांधी कच्ची बस्ती क्षेत्र में धराराम पुत्र सुकराम को पकड़ा और धरारार चाकू बरामद किया। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

2.62 लाख का गांजा जब्त, आरोपी को पकड़ा

चूरू, (कासं)। पुलिस ने 2 लाख 62 हजार 800 रुपये 5.256 किलोग्राम अवैध गांजा जप्त किया। साथ ही युवाओं में नशा फैलाने से पूर्व ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक चूरू, निश्चय प्रसाद एम.ने बताया कि पुलिस थाना सुजानगढ़ पर अलग-अलग टीमों गठित की गयी, गठित टीम प्रभारी रामस्वरूप दीन मय टीम को मेगा हाईवे पर रास्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने साथ कट्टे में अवैध गांजा ले जा रहा है, जिस पर मुखबीर इंतला के मुताबिक मेगा हाईवे से मंडेला रोड पर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसको काबू किया, एवं चैक किया जाकर उसके कब्जा से कट्टा में अवैध गांजा जप्त कर आरोपी प्रकाश जाट पुत्र चुनौलाल को गिरफ्तार किया गया।

उदयपुर में एक लाख की रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलिजेंस उदयपुर की टीम ने राज्य बीमा व प्रावधानी विभाग के यूडीसी शेखर मथूरिया को डेथ क्लेम पास करने के एवज में पीड़ित से एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

- डेथ क्लेम पास करने के एवज में पीड़ित से रिश्वत मांगी थी

शेखर मथूरिया हॉल वरिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग उदयपुर को एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो की इंटेलिजेंस युनिट उदयपुर को शिकायत मिली कि परिवारी की भांजी सरकारी शिक्षिका की मृत्यु होने पर राज्य बीमा के डेथ क्लेम को पास करने एवं कमियों की पूर्ति कर ज्यादा क्लेम राशि पास करवाने की एवज में पहले आरोपी द्वारा 7 लाख 50 हजार रुपये की मांग की गई एवं 11 मई को आरोपी द्वारा 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेने की सहमति हुई। इस पर 12 मई को रिश्वत की प्रथम किश्त एक



राज्य बीमा व प्रावधानी विभाग में कार्यरत आरोपी वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार किया।

लाख रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जिस पर ब्यूरो टीम ने आरोपी शेखर मथूरिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।